

राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड,
८४ए, इंदिरा गांधी नहर मंडल, भवानी सिंह रोड, जयपुर

राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अधीन विप्र जनों के कल्याणार्थ गैर सरकारी संगठनों हेतु जारी की जाने वाली सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक :.....

सेवामें,

माननीय अध्यक्ष,
राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड,
राजस्थान जयपुर।

1.	गैर सरकारी संगठन का नाम	:	
2.	संगठन का पंजीयन क्रमांक (भारतीय व्यास अधिनियम १८७२ अथवा राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम १९५८ अथवा अन्य समकक्ष अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)	:	
3.	संगठन के प्रधान कार्यालय का स्थाई पता	:	
4.	दूरभाष नम्बर	:	
5.	ई-मेल	:	
6.	संगठन का कार्यक्षेत्र	:	
7.	संगठन की ३ वर्ष की अंकेक्षित लेखों की आडिट रिपोर्ट/आयकर रिटर्न की प्रति	:	संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक

सचिव
राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड
जयपुर

8.	<p>प्रदेश/संभाग/जिला/ब्लॉक/तहसील</p> <p>स्तर तक संगठन के पदाधिकारियों के नाम:-</p> <p>संगठन में पद:-</p> <p>पता:-</p> <p>मो.नम्बर:-</p> <p>ई-मेल:-</p> <p>(हार्ड कॉपी, व सॉफ्ट कॉपी में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये)</p>	:	<p>संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक</p>
9.	<p>संगठन की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों का विवरण</p>	:	<p>1 2</p> <p>संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक</p>
10.	<p>संगठन द्वारा विप्र समाज के कल्याणार्थ की गई गतिविधियों (कार्यक्रमों/आयोजन/समारोह/कार्य) का विवरण</p>	:	<p>1 2</p> <p>संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक</p>

मैं शपथ पूर्ण बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है।

दिनांक

स्थान

संस्था सचिव (हस्ताक्षर)

नाम

स्थाई पता (निवास)

दूरभाष नम्बर.....

मोबाइल.....

संस्था अध्यक्ष (हस्ताक्षर)

नाम

स्थाई पता (निवास)

दूरभाष नम्बर.....

मोबाइल.....

नोट :

- आवेदन के सभी कॉलन में जानकारी अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- आवेदन में दी गई सभी जानकारियों के सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणित दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- आवेदन पत्र में दी गई पदाधिकारियों की दी गई व्यक्तिगत जानकारी की साफ्ट प्रति दिया जाना अनिवार्य है।